संख्या-77/2022/2498/22-2-2021-17(946)/2021

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 16 जून, 2022*

विषय:- जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सूर्य कुमार त्रिपाठी पुत्र स्व0 लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, निवासी जनपद-लखनऊ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34293/प्रोबे0-5-दया0 बैठक 09.09.2021, दिनांक 27.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी सूर्य कुमार त्रिपाठी पुत्र स्व0 लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, जो बी-105/4, आर.डी.एस.ओ. कालोनी, थाना-मानक नगर हालपता-सी./ओ. स्व0 भीमबहादुर सिंह म0नं0-548-एस/10, सूर्य नगर पोस्ट-मानकनगर, थाना-पारा, जनपद-लखनऊ का निवासी है। बन्दी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 26.08.1998 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर फॉसी लगाकर श्रीमती विभूति मिश्रा की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-153/1999, में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अयोध्या प्रकरण)/अपर सत्र न्यायाधीश, लखनऊ के आदेश दिनांक 20.09.2013 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ के आदेश दिनांक 23.09.2016 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 24.01.2021 तक 05 वर्ष 08 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 07 वर्ष 00 माह 16 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस आयुक्त, लखनऊ द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की उम्र 49 वर्ष होने, भोगी गयी सजा, बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सूर्य कुमार त्रिपाठी (बन्दी संख्या-12/2017) पुत्र स्व0 लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, निवासी जनपद-लखनऊ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-77/2022/2498(1)/22-2-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-लखनऊ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ ।

3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।